

### शांति भंग करने के 08 आरोपी गिरफ्तार :-

पूरण सिंह हैड कानि० थाना पीलोदा ने 1. बाबूलाल पुत्र काना राम उम्र 50 साल 2. रामचरन पुत्र काना राम उम्र 55 साल निवासीयान भालपुर थाना पीलोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकाश चन्द स०उ०नि० थाना गंगापुर सिटी ने दिनेश पुत्र हरि कोली निवासी कोलेज रोड गंगापुरसिटी, रसीद पुत्र चिमू मुसलमान निवासी काजी कोलोनी गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

माधोसिंह हैड कानि० थाना चौथ का बरवाडा ने 01, धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र 25 साल, 2. रिकू पुत्र श्री मुरारीलाल उम्र 28 साल, 3. ऋषिकेश पुत्र कैलाश जातियान मीना निवासीयान ईटावा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

मोहम्मद अलीम हैड कानि० थाना वामनवास ने श्री रामफूल पुत्र श्री नारायण मीना उम्र 30 साल नि० अमावरा थाना बामनवास को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

पप्पूलाल स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री सोनू उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रुपसिंह जाति गुर्जर उम्र 36 साल निवासी जटवाडा खुर्द थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर। को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### शराब पीकर उत्पाते मचाते 08 आरोपी गिरफ्तार:-

अजीत सिंह स०उ०नि० थाना गंगापुरसिटी ने 1. श्री हरीओम पुत्र घनश्याम जाति खारवाल उम्र 25 साल निवासी बैरखण्डी, 2. दिलीप सिंह पुत्र बत्तीलाल जाति खारवाल उम्र 20 साल निवासी बैरखण्डी थाना बाटोदा को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मुकेश कुमार उ०नि० थाना रवांजना डूंगर ने रामसहाय पुत्र मनफूल जाति बंजारा उम्र 19 साल निवासी विशनपुरा थाना करवर जिला बूंदो को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

प्रकाश चन्द स०उ०नि० थाना गंगापुरसिटी ने योगेश पुत्र भागचन्द प्रजापत निवासी मुनीमपाडा गंगापुरसिटी 2. वेदप्रकाश पुत्र कजोडमल निवासी रैगर मोहल्ला गंगापुरसिटी, 3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रुपचंद निवासी लखेरा की कोठी गंगापुरसिटी को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

तेज सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने 01. श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र घासीराम जाति मीना उम्र 29 साल नि० लाडली का बास थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 02. श्री कमलाराम पुत्र छितरलाल जाति मीना उम्र 32 साल नि० उदयपुरिया थाना उनियारा जिला टोंक को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### शराब पीकर वाहन चलाते आरोपी गिरफ्तार:-

मुकेश कुमार उ०नि० थाना रवांजना डूंगर ने बन्टो पुत्र पप्पू जाति बंजारा उम्र 19 साल निवासी विशनपुरा थाना करवर जिला बूंदो को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### अबैध शराब रखने के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

हरिलाल हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने रामसहाय पुत्र गंगाधर जाति बैरवा उम्र 29 साल निवासी धीरोला थाना रवाजना डूंगर को अबैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी गश्त के दौरान धीरोला थाना रवाजना डूंगर में 192 पब्ले देशी शराब बेचते हुआ पाया गया। आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो संताषजनक जबाब नहीं दिया। अतः आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मु०नं० 199/17 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार फजरुद्दीन हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री राजेश पुत्र प्रहलाद जाति रैगर उम्र 29 साल नि० पचीपल्या थाना मानटाउन को अबैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी गश्त के दौरान रैगर बस्ती पचीपल्या में 40 पब्ले देशी शराब शराब बेचते हुआ पाया गया। आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो संताषजनक जबाब नहीं दिया। अतः आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 357/2017 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट, में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

### दर्ज मुकदमात के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

हरिलाल हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने दर्ज मुकदमात के आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी डांगरवाडा थाना रवाजना डूंगर को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि धापू पत्नी देवनारायण गुर्जर निवासी डांगरवाडा ने दिनांक 22.09.17 को आरोपी के विरुद्ध थाना मलारना पर मु०नं० 166/17 धारा 354ए 323ए 341 ता०हि० में मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

## ध्वनि प्रदूषण के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

घनश्याम सोडनी थाना बाटौदा ने ताराचन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति खाती उम्र 32 साल निवासी नगला पछावदा जिला भरतपुरा को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर ट्रैक्टर पर तेज आवाज में स्पीकर चलाते हुए जा रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मय डेक मशीन, स्पीकर मय मैमोरी कार्ड के मु०न० [161/17 U/S 4/6 RNC ACT](#) में थाना बाटौदा पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

हनुमान प्रसाद हैड कानि० थाना बाटौदा ने ताराचन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति खाती उम्र 32 साल निवासी नगला पछावदा जिला भरतपुरा को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर ट्रैक्टर पर तेज आवाज में स्पीकर चलाते हुए जा रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मय डेक मशीन, स्पीकर मय मैमोरी कार्ड के [162/17 U/S 4/6 RNC ACT](#) में थाना बाटौदा पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।